<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> {समक्षःडी.एस.मण्डलोई}

फौज.प्र.क. : 775 / 14 <u>संस्थित दिः 30 / 08 / 14</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आबकारी वृत्त बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)	 अभियोगी
विरूद्ध	
सावित्री बाई पिता संतोष, उम्र 25 साल, जाति ग्वारा,	
साकिन चंद्रना थाना प्रस्वाडा जिला बालाघाट (म प्र)	आरोपी

—<u>:: निर्णय ::</u>— (आज दिनांक 30/08/2014 को घोषित किया गया)

- आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 24 / 08 / 2014 को समय 01:00 बजे, ग्राम चंदना थाना परसवाड़ा अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में तीन लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पायी गई।
- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आबकारी उपनिरीक्षक ए.के.माहौरे दिनांक 24.08.2014 को ग्राम गस्ती के लिए खाना हुआ था तो उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चंदना की रहने वाली सावित्रीबाई अपने कब्जे में अवैध रूप से शराब लेकर जा रही है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर वह समयाभाव के कारण बिना तलासी वारण्ट प्राप्त कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर रिहासशी मकान की तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की जरीकेन में तीन लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से पायी गई। आरोपी से उक्त शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से उक्त शराब को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के विरूद्ध अपराध क. 113/14 अन्तर्गत धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध (03)की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--

(अ) क्या आरोपी दिनांक 24/08/2014 को समय 01:00 बजे, ग्राम चंदना थाना परसवाड़ा अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में तीन लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पायी गई?

🔐 <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::–

- (05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (08) आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 500 / रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दिण्डत किया जाता है।
- (09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।
- (10) प्रकरण में जप्तशुदा कच्ची महुआ की तीन लीटर शराब मूल्यहीन होने से विधिवत नष्ट की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट